भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1477
दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल में आयरन और आर्सेनिक का संदूषण

1477. श्री अहमद अशफाक करीमः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में पेयजल में आयरन एवं आर्सेनिक जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, काफी मात्रा में पाया जाता है;
(ख) क्या सरकार की इस प्रकार के पेयजल को आयरन और आर्सेनिक मुक्त बनाने के लिए कोई योजना है;
(ग) यदि हां, तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों को कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) से (ग) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 4327 बसावटें आर्सेनिक से प्रभावित हैं और 7723 बसावटें लौह से प्रभावित हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, संचालन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर स्कीमों को आरंभ करने के लिए किया जा सकता है।
आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की सिफारिश पर भारत सरकार ने राज्यों को निधियां उपलब्ध करायी हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए राज्यों को फोकस वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।